गाँधीजी और हिंदी भाषा

रमेश तिवारी*

यह हम सबके लिए हर्ष और गर्व का विषय है कि हमारा देश महात्मा गाँधीजी की 150वीं जयंती मना रहा है। गाँधीजी ने इस देश की स्वाधीनता और अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भाषा पर लगातार काम किया है। उल्लेखनीय है कि ऐसे अनेक प्रयासों के परिणामस्वरूप देश को अंग्रेज़ी हुकूमत से स्वाधीनता तो सन् 1947 में प्राप्त हो गई, किंतु भाषा के रूप में हिंदी को उसका अपेक्षित स्थान आज तक प्राप्त नहीं हो सका है। बीसवीं सदी के इतिहास में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि दुनिया को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले भारतीय महापुरुषों के बारे में जब भी अध्ययन-विश्लेषण किया जाएगा तो उसमें मोहनदास करमचंद गाँधी का नाम सर्वोपरि होगा। गाँधीजी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। गाँधीजी के जीवन, लेखन और आचरण से देश का प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है। इस लेख में गाँधीजी और उनकी भाषा संबंधी मान्यताओं पर विचार-विमर्श प्रस्तुत किया गया है।

हमारा देश भारत बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय देश है। यह विविधता ही भारत की विशेषता और पहचान है। हालाँकि, इसके कारण कभी-कभी चुनौतियाँ और समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। इस देश की बहुभाषिकता से उत्पन्न समस्या के बारे में गाँधीजी के विचार बड़े स्पष्ट, व्यावहारिक और राष्ट्र-सापेक्ष हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए गाँधीजी राष्ट्रीय एकता पर बल देते थे। राष्ट्रीय एकता के लिए उन्होंने एक ऐसी संपर्क भाषा की आवश्यकता समझी, जिसके अध्ययन से समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ा जा सके। यह सर्वविदित है कि गाँधीजी की मातृभाषा गुजराती थी। फिर भी जब-जब राष्ट्र को एकजुट करने के लिए किसी एक भारतीय भाषा का सवाल सामने आया तो गाँधीजी सदैव हिंदी के पक्ष में खड़े रहे। साथ ही जब-जब शिक्षा के माध्यम का सवाल आया, गाँधीजी सदा मातृभाषा को सर्वोपरि मानते रहे। सन् 1915 में, जब वे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और यह पाया कि हिंदी ही एकमात्र भाषा है जो देश के अधिकतर भागों में बोली और समझी जाती है। वास्तव में, गाँधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में ही हिंदी की शक्ति और महत्ता को पहचान लिया था। इसलिए उन्होंने 1906 में, *इंडियन ओपिनियन* नामक अपनी पत्रिका में, इस भाषा के महत्व पर चर्चा करते हुए इसे मीठी, नम्र और ओजस्वी भाषा कहा था। देश को स्वाधीनता के लिए प्रेरित करने के क्रम में गाँधीजी समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करते और लोगों से जुड़ते थे। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने हिंदी की व्यापकता को गहराई से समझा था। भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने सिर्फ़ जन-जागरण अभियान ही नहीं चलाया,

*64 बी, फेस - II, डी.डी.ए. फ्लैट, कटवारिया सराय, नयी दिल्ली 110016

© NCERT not to be republished

अपितु हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। भारत आने के बाद जब 1917 में गाँधीजी ने अपनी पहली सत्याग्रह यात्रा चम्पारण से आरंभ की तो इसी दौरान 3 जून को उन्होंने एक परिपत्र निकाला, जिसमें हिंदी की महत्ता के संदर्भ में लिखा था —"हिंदी जल्दी से जल्दी अंग्रेज़ी का स्थान ले ले, यह ईश्वरी संकेत जान पड़ता है। हिंदी शिक्षित वर्गों के बीच समान माध्यम ही नहीं, बल्कि जनसाधारण के हृदय तक पहुंचने का द्वार बन सकती है। इस दिशा में कोई देसी भाषा इसकी समानता नहीं कर सकती। अंगेज़ी तो कदापि नहीं कर सकती।"

गाँधीजी की संवेदनशीलता बहुत गहरी और दृष्टि अत्यंत दूरदर्शी थी। वह जहाँ जाते, वहीं लोगों से बड़ी ही गर्मजोशी और गहराई से जुड़ते। उनसे संवाद कर उन्हें अपना बना लेते और उनके बन जाते। लोगों से जुड़ने का गाँधीजी का तरीका भी अनोखा था। यह विश्वास करना मुश्किल है कि लोगों से जुड़ने और उनके दुःख-दर्द को करीब से समझने के उद्देश्य से अपने जीवन की अधिकांश यात्राएँ गाँधीजी ने तीसरे दर्जे में की। इससे उन्हें भारत के जनसामान्य से संपर्क करने का पूरा अवसर मिला

सन् 1918 में, महात्मा गाँधीजी ने इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन में कहा था —"जैसे ब्रिटिश अंग्रेज़ी में बोलते हैं और सारे कामों में अंग्रेज़ी का ही प्रयोग करते हैं, वैसे ही मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का सम्मान अदा करें। इसे राष्ट्रीय भाषा बनाकर हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए।" हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रति गाँधीजी केवल कथनी के स्तर पर ही नहीं, बल्कि करनी के स्तर पर भी उतने ही समर्पित थे। इसी समय उन्होंने भारत के उन प्रांतों में पाँच 'हिंदी दूत' भेजे, जहाँ पर इस भाषा का ज़्यादा प्रचलन नहीं था। इन पाँच दूतों में महात्मा गाँधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गाँधी भी एक थे। ये पाँच हिंदी दूत हिंदी के प्रचार के लिए सबसे पहले तत्कालीन मद्रास स्टेट पहुँचे, जो आज का तमिलनाडु है। गाँधीजी दूर-द्रष्टा थे और स्पष्ट वक्ता भी। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के पीछे उनकी स्पष्ट मान्यता थी, "राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है।" एक संपर्क भाषा के अभाव में किसी भी देश की राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता न तो संभव है और न ही स्थायी हो सकती है। गाँधीजी ने राष्ट्रहित में बड़ी ही समझदारी और दूरदर्शिता दिखाते हुए भाषा के प्रश्न को स्वराज के प्रश्न से जोड़ दिया और सिर्फ़ जोड़ ही नहीं दिया, बल्कि आजीवन इस बात पर ज़ोर देते रहे कि हिंदुस्तान को सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो राष्ट्रभाषा ही आधिकारिक हिंदी हो सकती है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हमें उम्मीद थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। किंतु तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व की अदूरदर्शिता और दुर्भाग्यवश हिंदी को आज तक यह सम्मान प्राप्त नहीं हो सका है और तो और, जब भी हिंदी को राष्ट्रव्यापी स्तर पर स्वीकृति देने-दिलाने की दिशा में प्रयास किए जाते हैं, तब अनावश्यक रूप से कुछ छुटभैये राजनेता और अंग्रेज़ीदाँ समाज के प्रतिनिधि, हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के लिए खतरा बताते हुए, हिंदी-विरोध का ढोल पीटने लगते हैं। ऐसी किसी भी साज़िश को किसी भी दृष्टि से उचित और राष्ट्रहितकारी नहीं कहा जा सकता है।

हम देखते हैं कि सुदूर दक्षिण में जब हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए महात्मा गाँधी द्वारा

© NCERT not to be republished

'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' की स्थापना की गई तो गाँधीजी ने अपने बेटे देवदास गाँधी को खुशी-खुशी हिंदी के प्रचार-प्रसार की ज़िम्मेदारी देकर दक्षिण भारत भेजा। भाषा, समाज, संस्कृति के लिए ऐसा समर्पण ही गाँधीजी को विराट व्यक्तित्व का स्वामी बना देता है। अकारण गाँधीजी नहीं कहते हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। गाँधीजी जो सोचते थे, वही कहते और करते थे। जीवन, लेखन और आचरण में व्याप्त यह साम्य ही गाँधीजी को महात्मा के रूप में हम सबके समक्ष स्थापित करता है।

गाँधीजी की मान्यता थी कि अगर स्वराज्य अंग्रेज़ी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो नि:संदेह अंग्रेज़ी ही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों भूखे मरने वालों, निरक्षर, दलितों और अन्त्यजों का है और उन सब के लिए होने वाला हो तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। हिंदी का निर्माण राष्ट्र के अनुसार ही हुआ है और यह वर्षों से ही राष्ट्रभाषा की भाँति व्यवहृत हो चुकी है। "अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता-समझता है और हिंदी इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है।" गाँधीजी के सपनों के भारत की जो तसवीर थी, उसमें एक सपना राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करने का भी था। उनकी मान्यता थी कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा हो जाता है। इसलिए राष्ट्रभाषा का सवाल हमारे राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में, गाँधीजी का योगदान अनुपम और अनुकरणीय रहा है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि, "महात्मा गाँधी की मातृभाषा गुजराती थी और उन्हें अंग्रेज़ी भाषा का उच्चकोटि का ज्ञान था, किंतु सभी भारतीय भाषाओं के प्रति उनके मन में विशिष्ट सम्मान भावना थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करे, उसमें कार्य करे किंतु देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली हिंदी भाषा भी वह सीखे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी।" इस संदर्भ से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि गाँधीजी सभी भारतीय भाषाओं को समान रूप से महत्व देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर, जब राष्ट्रभाषा का प्रश्न आता था तो उसके लिए वे हिंदी भाषा को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। गाँधीजी का मन-मस्तिष्क हिंदी को लेकर सदैव जागरूक रहता था। उनके लिए हिंदी एक भाषा या संप्रेषण का माध्यम मात्र न होकर राष्ट्रीयता का प्रतीक थी। उनकी मान्यता थी कि सबसे बड़ी समाज सेवा यह है कि हम सब अपनी देशी भाषाओं की तरफ़ मुड़ें और भारत की सभी भाषाओं का आदर करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें। आज हिंदी भाषा की राष्ट्रव्यापी स्वीकृति के सवाल पर अन्य भारतीय भाषाओं के ठेकेदारों को यह बात समझने की ज़रूरत है कि गाँधीजी ने हिंदी को राष्ट्रव्यापी स्वीकृति के साथ-साथ भारत की सभी देशी भाषाओं के आदर की बात भी कही थी। वे हिंदी के ज़रिए अन्य भारतीय भाषाओं को दबाना नहीं चाहते थे, बल्कि उनके साथ हिंदी को भी मिला देना चाहते थे। यदि उनकी इस बात को हम सही आशय और दिशा के साथ समझने में सफल हो गए, तो हिंदी का विरोध करने की मंशा ही नहीं रहेगी। गाँधीजी ऐसा किस आधार पर कह पा रहे थे? इसे समझने के लिए हमें गाँधीजी की एक अन्य विशेषता को समझना होगा।

गाँधीजी की वह अन्य विशेषता यह थी कि किसी बात को सार्वजानिक जीवन में सामने रखने से पूर्व वे उसे अपने अनुभव और व्यवहार की कसौटी

पर परखते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों बनाया जाए, राष्ट्रभाषा का स्वरूप क्या हो, राष्ट्रभाषा के गुण क्या हों आदि बिंदुओं पर उनका चिंतन-मनन निरंतर जारी रहता था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान एक ऐसा कालखंड भी आया, जब तत्कालीन अंग्रेज़ी हुकूमत ने 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनाते हुए, हिन्दू-मुसलमानों के बीच भाषा आधारित वैमनस्य को बढ़ावा देने की कुटिल चाल चली। गाँधीजी ने ब्रिटिश हुकूमत की इस चाल को समय रहते समझते हुए, हिंदी के स्थान पर हिन्दुस्तानी शब्द का प्रयोग आरंभ कर दिया। "हिंदी-उर्दू-हिन्दुस्तानी संबंधी लेख में गाँधीजी ने *हरिजन सेवक* (3 जुलाई 1937, 17 जुलाई 1937, 29 अक्तूबर 1938, 8 फ़रवरी 1942) के विभिन्न अंकों में हिंदी, उर्दू और हिन्दुस्तानी के विवाद पर अपनी लेखनी चलाई थी और वे बाद में इसी समस्या पर अपने विचार प्रस्तुत करते रहे।" इस दौर में हिंदी-उर्दू विवाद को उभारने में अंग्रेज़ी हुकूमत की भी बड़ी भूमिका थी। उस समय एक वर्ग हिंदी का प्रबल समर्थक था और उसे श्रेष्ठ मानता था। जबकि दूसरा वर्ग उर्दू को श्रेष्ठ मानता था। इस विवाद से गाँधीजी काफ़ी आहत थे, क्योंकि उन्हें यह आशंका थी कि यह विवाद भारत के स्वतंत्रता-संग्राम में बाधक हो सकता है।"

वास्तव में, अपने इन विचारों के द्वारा गाँधीजी सबको यह बताना चाहते थे कि हिन्दुस्तानी की ताकत, उसकी जीवंतता, ग्रहणशीलता, आत्मीयता और संवाद में है। गाँधीजी हिन्दुस्तानी को हिन्दू-मुस्लिम एकता की एक मज़बूत कड़ी भी मानते थे। उन्होंने दोनों वर्गों की गलतफ़हमी दूर करने के लिए कहा कि हिंदी, उर्दू और हिन्दुस्तानी शब्द उस एक ही ज़बान के सूचक हैं, जिसे उत्तर भारत में हिन्दू-मुसलमान बोलते हैं, जो देवनागरी या अरबी-फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। इस बारे में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू अरबी-फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है, किंतु इन दोनों भाषा-रूपों का मौखिक रूप हिन्दुस्तानी है, जिसे सभी वर्ग बोलते हैं। वे जानते थे कि हिन्दुस्तानी का सुझाव देने से दोनों वर्गों में अलगाव और अविश्वास की भावना दूर होगी, इसीलिए उन्होंने एक बात और कही कि असली प्रतिस्पर्धा तो हिंदी और उर्दू में नहीं, बल्कि हिन्दुस्तानी और अंग्रेज़ी में है। आज़ादी के 72 वर्षों का यथार्थ यह है कि आज भी गाँधीजी का हिंदी को लेकर देखा गया सपना साकार होना बाकी है। भारतीय जनमानस के हित में हमें शासन, न्यायपालिका, चिकित्सा, सूचना-प्रौद्योगिकी, प्रबंधन के क्षेत्र में हिंदुस्तानी को और अधिक विस्तार देने की आवश्यकता है। इन प्रयासों के द्वारा ही हम गाँधीजी के सपनों का भारत बनाने में सफलता हासिल कर पाएँगे।

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना सन् 1918 में हुई। सन् 1936 में, वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना द्वारा हिंदी के राष्ट्रव्यापी विस्तार की दिशा में जो दूरदर्शी प्रयास गाँधीजी ने किए, उसका परिणाम हम सबके सामने है। हिंदी के प्रति गाँधीजी का समर्पण ऐसा था कि वे तमाम समकालीन हस्तियों को अपना भाषण हिंदी में देने के लिए प्रेरित करते थे। इस संदर्भ में टैगोर ने एक संस्मरण में लिखा है कि जब उन्हें एक बार गुजरात में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने गाँधीजी से पूछा कि वे किस भाषा में व्याख्यान दें? जवाब में गाँधीजी ने कहा कि,

© NCERT not to be republished

'जैसी भी हिंदी आती हो, उसी हिंदी में।' उनके इस सुझाव से प्रेरित होकर टैगोर ने हिंदी में ही व्याख्यान दिया। आगे चलकर हिंदी में दिए गए उस व्याख्यान को टैगोर ने अपने जीवन के अविस्मरणीय अनुभवों में गिना। इसी तरह एक राष्ट्रभाषा सम्मेलन में लोकमान्य तिलक द्वारा अपना भाषण अंग्रेज़ी में दिए जाने पर गाँधीजी ने कहा था, "बस इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी सीखने की आवश्यकता है।" इसके बाद लोकमान्य तिलक ने गाँधीजी के हिंदी भाषा संबंधी सुझाव पर अमल करते हुए अपना व्याख्यान हिंदी में देना शुरू किया।

स्वतंत्रता आंदोलन के लगभग सभी नेताओं ने गाँधीजी के विचारों का अनुसरण करते हुए, हिंदी सीखने और हिंदी को अपने जीवन-व्यवहार में बढ़ावा देने का निरंतर प्रयास किया। गाँधीजी का समय और व्यक्तित्व कितना प्रेरक था कि एक गुजराती दूसरे बंगाली, मराठी, या अन्य किसी भाषा-भाषी से राष्ट्रहित के लिए यदि हिंदी को अपनाने का सुझाव देता था तो बिना किसी विवाद के उसके सुझाव को उसके कालखंड के दिग्गज भी स्वीकार कर लेते थे लेकिन आज जब हिंदी की बात की जाती है तो अन्य भाषा-भाषी समाज के कुछ लोग उसे शक की निगाह से देखने लगते हैं। राष्ट्र और राष्ट्रहित गौण हो जाता है, स्थानीयता-प्रांतीयता से जुड़ी अस्मिता हावी हो जाती है। विभाजनकारी राजनीति शुरू हो जाती है। अंग्रेज़ जाते-जाते हमें बाँटो और राज करो की नीति सिखा गए थे। अंग्रेज़ों के जाने के 72 वर्षों बाद भी हमने इस नीति को अपने ही लोगों को बरगलाने का माध्यम बना लिया है। गाँधीजी के कालखंड में परस्पर भाईचारा तथा भरोसा कायम था। गाँधीजी के व्यक्तित्व को देखकर 2 अक्तूबर, 1944 को आइन्स्टाइन ने गाँधीजी के जन्मदिवस पर अपने संदेश में लिखा कि, "आनेवाली नस्लें शायद मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हाड़-मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चलता-फिरता था।" गाँधीजी को महात्मा और राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार करने वाला भारत देश आजीवन उनका ऋणी रहेगा।

उपर्युक्त समस्त बिंदुओं पर चिंतन-मनन के उपरांत निष्कर्ष के रूप में यह उल्लेख करना उचित होगा कि गाँधीजी के भाषा संबंधी विचारों को अपनाकर ही हम आज हिंदी को उसका अपेक्षित स्थान दिला सकते हैं। हमें गाँधीजी के जीवन और आचरण से निरंतर बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आज के बाज़ारवादी सर्वग्रासी वातावरण में चारों ओर जो अशांति, हिंसा और प्रदर्शन के सहारे गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, उसका निदान गाँधी-मार्ग में है। हिंदी भाषा की सेवा के द्वारा राष्ट्र को मज़बूती प्रदान करने के साथ-साथ गाँधीजी के बताए रास्ते पर चलकर हम समाज में शांति, भाईचारा, समता, सुरक्षा की भावना का विकास कर सकते हैं। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारी भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भाषा ही किसी समाज और संस्कृति का आईना है। भाषा के संरक्षण और संवर्धन की ज़िम्मेदारी हम हिन्दुस्तानियों की है। राष्ट्रभाषा के रूप में गाँधीजी द्वारा हिंदी की उपयुक्तता के संदेश को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। परस्पर विश्वास करना और विश्वास जीतना होगा। यही हमारे हित में है, हमारे समाज और राष्ट्र का भी इसी में भला है। गाँधीजी के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि एवं उन्हें निरंतर स्मरण रखने का यही सर्वोत्तम मार्ग भी है।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति सत्याग्रह — महात्मा गाँधी. 17 दिसंबर, 2019 को https://bharatdiscovery.org/india/राष्ट्रभाषा_हिंदी_के_प्रति_सत्याग्रह_-महात्मा_गाँधी. से लिया गया है.

न्यूज़ 18 14 सितंबर, 2018. गाँधी 150— हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के मामले में नहीं मानी गई थी गाँधी की राय. 17 दिसंबर, 2019 को https://hindi.news18.com/news/knowledge/what-were-the-views-of-mahatma-gandhi-on-hindi-as-national-language-1513109.html से लिया गया है.

वेब दुनिया. हिंदी भाषा पर महात्मा गाँधी के विचार. 17 दिसंबर, 2019 को https://hindi.webdunia.com/hindi-diwas-special/mahatma-gandhi-on-hindi-language-117090900077_1.html से लिया गया है.

पत्र नहीं मित्र—देशबन्धु. 6 अक्तूबर, 2019. गाँधी जी की नज़र में हिन्दी. 17 दिसंबर, 2019 को http://www.deshbandhu.co.in/vichar/hindi-according-to-gandhiji-77525-2 से लिया गया है.

गाँधी का हिंदी प्रेम. *भारत-दर्शन*. 17 दिसंबर, 2019 को https://www.bharatdarshan.co.nz/lit-collection/literature/339/gandhis-hindi-love.html से लिया गया है.

© NCERT not to be republished